न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—360 / 2015 / 223 (2015 / 00121)

1. रामधन दत्तक पुत्र रामा, जाति जाट, नि0 ग्राम तिहारी, तह0नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 सुवा,
2. चन्द्रा पुत्र स्व0 धूकल,
3. श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 धूला,
4. रामस्वरूप पुत्र सुवा,
5. रामेश्वरी पुत्री स्व0 सुवा,
   समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम तिहारी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 27.5.2015 अंतर्गत वाद संख्या 158 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 06.09.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, के निर्णय दिनांक 27.5.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 82—अ राज0काश्त0अधी0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सहखातेदारी की भूमि ग्राम तिहारी में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 268 / 1059, 217 / 1, 163 / 1088, 164 / 232, 165 / 233, 166 / 234, 168 / 230, 169 / 231, 532 / 1041, 648 / 542, 651 / 541 भूमियां धूकल वल्द जेठू की पुश्तैनी आराजियात है तथा धूकल पुत्र जेठू का परिवार का सजरा वर्णित करते हुए रम्मा (पत्नि फौत), रामा (पुत्र अविवाहित फौत), चन्द्रा (पुत्र जीवित) सुवा (पुत्र फौत) जिसके सोहनी (पत्नि जीवित) रामस्वरूप (पुत्र जीवित) सत्यनाराण (जीवित) रामेश्वरी (पुत्री जीवित) वादी के बड़े पिता रामा पुत्र धूकल नाऔलाद फौत होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण को बराबर हक व हिस्सा है । अन्त में वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की । विद्वान

अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.5.2015 को निर्णय पारित कर आदेश दिये कि रामा की विरासत विवादास्पद है अतः प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर इस आशय से किया जाता है कि तहसीलदार, नसीराबाद ग्राम तिहारी की उक्त विवादित सम्पदा पर मृतक रामा पुत्र धूकल के वारिसों की जांच हेतु प्रकरण में राज0भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के अनुसार कार्यवाही करावे एवं आवश्यकता हो तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनुसार कार्यवाही की जावे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट रामा का दत्तक पुत्र है तथा वादग्रस्त भूमियां रामा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा रामा का दत्तक पुत्र होने के बावजूद वादी ने अपीलांट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर वाद में पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 ने खारिज कर दिया । आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के आदेश के विरूद्ध अपीलांट/प्रार्थी द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में रिवीजन पेश की जिसके विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.5.2015 को निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट रामा का दत्तक पुत्र होने से प्रकरण में अपीलांट आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। अधी0न्याया0 के निर्णय की आड़ में विवादित आराजियात को खुर्दबुर्द किया जा रहा है तथा अधी0न्याया0 की आड़ में यदि अपीलांट को बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांट को भारी नुकसान होगा । अपीलांट हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 में अपीलांट द्वारा बतौर रामा का गोद पुत्र होने बाबत् पक्षकार बनाये जाने के लिये आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का आवेदन पेश किया था जो अधी0न्याया0 द्वारा खारिज किया जिसके विरूद्ध अपीलांट रामधन द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में रिविजन याचिका प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है । रिविजन याचिका के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने पत्रावली तलब करने के बावजदू विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि मृतक रामा के बैंक में प्राप्त ऋण का भुगतान अपीलांट द्वारा किया गया एवं उसे नोमनी भी नियुक्त किया गया था तथा सभी क्रिया कर्म अपीलांट द्वारा किया गया इसके बावजूद अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाकर तथा बिना सूचना दिये अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट रामा का दत्तक पुत्र नहीं है । अपीलांट ने स्वंय को रामा का दत्तक पुत्र होने के संबंध में प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि रामा पुत्र धूकल द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को गोद लिया गया हो । केवल मात्र कयासों के आधार पर अपीलांट का गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है । इसीलिये अपीलांट को अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं

बनाया गया था । अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है जिससे उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को भी इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलांट रामा का दत्तक पुत्र है जिसे वादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर वाद में पक्षकार नियुक्त करने का निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 द्वारा निरस्त किये जाने पर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा मान0 मण्डल में रिविजन पेश की गई जो विचाराधीन है । मान0 मण्डल में उक्त रिविजन के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने वादी का वाद दिनांक 27.5.2015 को निर्णित कर दिया । अपीलांट रामा का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं इसका निर्णय तो वाद में बाद साक्ष्य एवं सुनवाई के ही किया जा सकता है किन्तु अधी0न्याया0 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सका था । हम न्याय हित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.5.2015 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने मृतक खातेदार रामा के दत्तक पुत्र की हैसियत ये यह अपील पेश की है। चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे जिससे वे अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके थे । हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति चाही गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया गया है। अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.5.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को वाद में पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 6.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर